

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सख्या-3/एल-06-01-02/2025-

/स्वा0, पटना, दिनांक

डा0 कुमार कार्तिकेय (वरीयता क्रमांक-9636/2008), द्यूटर, बायोकेमेस्ट्री, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी0), सहपठित वित्त विभागीय पत्रांक-6190 दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात डा0 कुमार कार्तिकेय के विरुद्ध किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का विषय संज्ञान में आता है या वे दोषी पाये जाते हैं तो डा0 कुमार कार्तिकेय की सेवा निवृत्ति लाभों से उसकी भरपाई की जाएगी।

2 डा0 कुमार कार्तिकेय भविष्य में बिहार सरकार की सेवा में पुनर्नियोजन/सविदागत नियोजन के पात्र नहीं होंगे।

3 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापाक

/स्वा0, पटना, दिनांक

ई-मेल/
स्पीड पोस्ट

501(3)

25/8/25

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एव0 ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

साथ ही अनुरोध है कि डा0 कुमार कार्तिकेय का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि: अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा से अनुरोध है कि ऐच्छिक सेवा निवृत्त, डा0 कुमार कार्तिकेय का सेवान्त लाभ के भुगतान की स्वीकृति हेतु तीन प्रतियों में पेशन प्रपत्र, वांछित कागजात सहित शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि: डा0 कुमार कार्तिकेय, द्यूटर, बायोकेमेस्ट्री, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा-2, 8, 9 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03. निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधितों के ई-मेल आई0डी0 पर अधिसूचना की प्रति आज ही भेजना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि: विभागीय पी0एम0यू0 लीड/डाटा एनॉलिस्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

W. M. K. S. S. S.
सरकार के अवर सचिव